

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक: प.9(2)शिक्षा-5/2005 पार्ट

दिनांक: 4-2-2013

निदेशक,
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषय : सत्र 2012-13 में निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेशित बालकों की फीस में पुनर्भरण के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

सत्र 2012-13 में निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की अनुपालना में कमजोर वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिया गया है। इन बालकों की फीस के पुनर्भरण के सम्बन्ध में निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा सत्यापन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गये थे। जिलों में सत्यापन दलों द्वारा कुछ कठिनाइयां अनुभव की गयीं, जिनका संकलन निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के स्तर पर किया गया। सत्यापन को अन्तिम रूप देने एवं पुनर्भरण प्रारम्भ करने से पूर्व जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा उठायी गयी कठिनाइयों पर राज्य सरकार के स्तर पर परीक्षण किया गया। परीक्षण के उपरान्त इस सन्दर्भ में निम्न दिशा-निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :-

1. विद्यालयों द्वारा टाइमफ़ेम/प्रवेश नीति जारी नहीं करना:-

— जिला शिक्षा अधिकारियों ने अवगत कराया है कि कुछ विद्यालयों ने 25 प्रतिशत सीटों के लिए टाइमफ़ेम (फार्म नं013) व 75 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश के लिए प्रवेश नीति जारी नहीं की। इस बिन्दु का परीक्षण किया गया। वर्तमान प्रकरण 25 प्रतिशत सीटों पर प्रविष्ट बालकों की फीस के पुनर्भरण से सम्बन्धित है। अतः निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी विद्यालय ने विभाग द्वारा तत्संबंधी जारी दिशा निर्देश दिनांक: 03.11.2011 की अनुपालना में फार्म नं0 13 भरकर सम्बन्धित कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है तो ऐसे विद्यालयों द्वारा दिए गए प्रवेश पुनर्भरण के लिए मान्य नहीं होंगे। 75 प्रतिशत सीटों के बारे में प्रवेश नीति का सम्बन्ध 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश के पुनर्भरण से सम्बन्धित नहीं है।

2. प्रवेश के लिए लॉटरी:-

— जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा यह अवगत कराया गया कि कुछ विद्यालयों में टाइम फ़ेम के अनुसार लॉटरी नहीं निकाली। इस बिन्दु का परीक्षण किया गया तथा निर्देशित किया जाता है कि यदि विद्यालय द्वारा घोषित सीटों से कम आवेदन प्राप्त हुए हैं तो लॉटरी की स्थिति नहीं बनती है। अतः ऐसी स्थिति में प्रवेशित बालकों की फीस पुनर्भरण योग्य मानी जाएगी लेकिन यदि प्राप्त आवेदन निर्धारित सीटों की संख्या से अधिक है तथा विद्यालय ने ऐसी स्थिति में भी

लॉटरी नहीं निकाली है, तो इस प्रकार प्रवेशित बालकों की फीस पुनर्भरण के योग्य नहीं होंगी।

3. कैचमेन्ट एरिया से बाहर के प्रवेश:-

— यह भी सामने आया कि कुछ विद्यालयों ने राज्य नियमों में परिभाषित कैचमेन्ट एरिया से बाहर के बालकों को भी प्रवेश दे दिया है। इस स्थिति का राज्य नियम के संदर्भ में परीक्षण कर निर्देशित किया जाता है कि पुनर्भरण राज्य नियमों में परिभाषित कैचमेन्ट एरिया के बालकों की फीस का ही होगा। कैचमेन्ट एरिया के बाहर के बालकों की फीस पुनर्भरण के योग्य नहीं होगी।

4. आवश्यक प्रमाण पत्रों का अभाव:-

— यह तथ्य भी अवगत कराया गया है कि कुछ विद्यालयों में बालक आवश्यक प्रमाण पत्र समय पर जमा नहीं करवा पाये। अतः निर्देशित किया जाता है कि यदि बालकों के प्रवेश के बाद में भी आवश्यक प्रमाण पत्र जमा करवा दिये हैं तो उन्हें स्वीकार कर उनकी फीस के पुनर्भरण की कार्यवाही की जावे तथा भविष्य के लिए सम्बन्धित संस्था को समय पर प्रमाण पत्र लेने के लिए पाबन्द किया जावे।

5. विद्यालयों द्वारा बालकों से लिये जा रहे शुल्क के स्थान पर अनुदान/दान/चंदा/सहयोग के नाम से रसीदे काटना:-

— जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ विद्यालय अन्य छात्रों से ली जा रही फीस के स्थान पर अनुदान/दान/चंदा/सहयोग आदि की रसीद बच्चे/अभिभावकों के नाम से काट रहे हैं। इस स्थिति का परीक्षण कर निर्देशित किया जाता है कि 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेशित बालकों की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित यूनिट कॉस्ट अथवा विद्यालय द्वारा बालकों से ली जाने वाली फीस, जो भी कम हो का किया जाता है। अतः यदि विद्यालयों द्वारा अभिभावकों/बालकों से अनुदान/दान/चंदा/सहयोग आदि लिये जा रहे हैं तो यह राशि पुनर्भरण के योग्य नहीं मानी जायेगी। यहाँ यह भी निर्देशित किया जाता है कि सत्र 2012-13 में प्रवेशित बालक सत्र 2013-14 के लिये निःशुल्क सीटों एवं फीस के पुनर्भरण के पात्र होंगे बशर्त कि विद्यालय 2013-14 में अन्य बालक (75 प्रतिशत बालकों से) फीस वसूल करें तथा फीस के रूप में ही रसीद जारी करें।

6. संस्थाओं द्वारा पुनर्भरण का दावा प्रस्तुत नहीं करना :-

— यह तथ्य भी सामने आया है कि कुछ संस्थाएँ सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा दे रही है क्योंकि इन संस्थाओं का संचालन किसी अन्य स्रोत से प्राप्त दान या चन्दे द्वारा किया जाता है। ऐसी संस्थाएँ पुनर्भरण की पात्र नहीं होंगी लेकिन इन्हें 25 प्रतिशत सीटों पर अधिनियम/नियम के अनुसार अशुविधाग्रस्त समूह व कमजोर वर्ग के बालकों को प्रवेश देना होगा।

7. विद्यालयों द्वारा निःशुल्क प्रवेश हेतु सीटों की संख्या का नहीं दर्शाया जाना :-


— यह स्थिति भी सामने आयी है कि कुछ विद्यालयों ने निःशुल्क प्रवेश हेतु सीटों की संख्या घोषित नहीं की है। इस स्थिति का परीक्षण कर निर्देशित किया जाता है कि बिना सीटों की संख्या घोषित किए प्रवेश के लिए लॉटरी निकाले जाने की प्रक्रिया निर्धारित नहीं हो पाएगी। अतः इस प्रकार किए गए प्रवेश पुर्नभरण के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे।

8. विद्यालयों द्वारा निःशुल्क प्रवेश की सूचना समय पर नहीं देना:-

— कुछ जिला शिक्षा अधिकारियों ने यह भी अवगत कराया है कि कुछ विद्यालयों ने निःशुल्क प्रवेश की सूचना समय पर विभाग में प्रस्तुत नहीं की तथा वे अब इस सूचना को प्रस्तुत कर रहे हैं। स्थिति का परीक्षण कर निर्देशित किया जाता है कि ऐसे प्रकरणों पर सम्बन्धित संस्था से आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त कर सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी गुणावगुण के आधार पर विचार कर निर्णय करें।

अतः सभी सम्बन्धित पक्षों को उक्त निर्देशों से अवगत करा कर तत्काल कार्यवाही करें तथा अविलम्ब फीस का पुर्नभरण प्रारम्भ करायें।

उक्त दिशा निर्देश सभी संबंधित पक्षों को पालनार्थ प्रसारित किये जाते हैं।


प्रमुख शासन सचिव
स्कूल शिक्षा विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

क्रमांक: एफ 3 (2) शिक्षा-5/2005-पाए

दिनांक:

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय शिक्षा मंत्री, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सहायक, शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक, संस्कृत शिक्षा, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव
प्रारंभिक शिक्षा